न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 11 / 2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.नारायणलाल पुत्र स्व माधोराम जी जाति कुम्हार निवासी गांव लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुरं		01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

5. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हरिसिह कच्छवाह उपस्थि

6. अप्रार्थी की और से राजकीय पैरोकार।

आदेश

दिनांक :– 2/3/2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जिसमे प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि मे खसरा नम्बर 588 रकबा 11 बीधा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लूणी तहसील लूणी जो कि सतलाना मुख्य सडक से दूर है। जिसके लिए रास्ता खसरा नम्बर 553 568 569 577 576 मे से होता हुआ आता है जो खसरा नम्बर 553,568,569,577,576, के बीच कटाणी रास्ता के रूप मे है जो वर्ष 1970 से कायम है परन्तु उक्त रास्ता समय के साथ मौके पर कम हो गया है। जिसको 30 फुट तक चौडा करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251–ए के तहत पेश किया गया जो कि खसरा नम्बर 553,568,569,577,576, राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मे निहित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 03.10.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमे ग्राम लूणी के खसरा नम्बर 588 रकबा 11.15 बीधा तक पहुचने के लिए वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 553,568,576,581,880 / 576 मे से कटाण मार्ग चल रहा है जो ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है तथा तरमीम सुदा है तथा प्रार्थी ने 30 फुट चौडा किए जाने का आवेदन किया है। वर्तमान रेकर्ड के अनुसार रास्ता करीब तीन गटटे चौडा है इसी रास्ते के सहारे 2 गटटा भूमि ओर ली जाती है तो 30 फुट रास्ता चौडा हो जाता है जिसके लिए खसरा नम्बर 553 मे से 9 बिस्वा ,568 मे से 05 बिस्वा 577 मे से 08 बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

579 मे से 8 बिस्वा 576 मे से 12 बिस्वा एवं 880/576 मे से 6 बिस्वा कुल 2.04 बीधा भूमि ली जावेगी तो लधुतम एवं एक मात्र रास्ता होना लिखा हैं।

प्राथी अधिवक्ता की प्रार्थना पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अभिकथनो एवं तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि कि लिए मौक पर रास्ता तो है परन्तु उस रास्ता को चौडा करने के लिए प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया। धारा 251–ए के प्रावधानो मे नये मार्ग के सजृन एंव पुरने चल रहे रास्ते के विस्तारित एवं चौडे करने का प्रावधान है। इन परिस्थितियो मे प्रार्थी द्वारा विधमान रास्ते को चौडा करने का अनुतोष उक्त धारा मे आता है तथा तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट मे भी 2 गटे भूमि लेने पर रास्ता 30 फुट तक चौडा हो जाता है। चूँकी मौके पर काबिज 3 गटे का रास्ता चल रहा है तथा उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते मे दर्ज है। परन्तु जिन खसरो मे से उक्त चल रहे रास्ते को चौडा करने के लिये मांग की गई वो खसरे डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह के नाम वर्तमान रेकर्ड मे दर्ज है। जिसकी खाता सख्या नई 136 व पुरानी खाता सख्सा 122 है। खसरा नम्बर 553 मे से 9 बिस्वा खसरा न,568 मे से 05 बिस्वा खसरा न, 577 मे से 08 बिस्वा खसरा न, 579 मे से 8 बिस्वा खसरा न, 576 मे से 12 बिस्वा खसरा न, 880/576 मे से 6 बिस्वा कुल 2.08 बीधा भूमि रास्ते के लिये प्रस्तावित की गई।उपरोक्त खसरो सभी डोली बनाम मन्दिर श्री महादेव जी वाके देह के नाम से दर्ज है। मन्दिर बनाम डोली भूमि नाबालिग को श्रेणी मे आती है जिसमे से रास्ता देना जाना कतई उचित नही समझते है।

अतःप्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी (जोधपुर)